न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/30/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2022/167

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री सत्यवीर यादव पुत्र श्री तुल्लाराम, ग्राम–शिवदानसिंहपुरा, पोस्ट–खोहर, तहसील–बहरोड, जिला–अलवर (राज.)–301709		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, अलवर

प्रवेश तिथि :: 11.4.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 30.05.2022

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने उक्त अधिनियम अंतर्गत आवेदन–पत्र दिनांकः 14.02.2022 के माध्यम से प्रत्यर्थी विभाग को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर माननीय राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर द्वारा अपील संख्या CIC/ALWR/A/2020/111548 निर्णय दिनांकः 06-08-2021 के तहत प्रत्यर्थी पर आरोपित शास्ति राशि रू. 3000/– सचिव, राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर को जमा करवाने संबंधी रसीद/चालान नं. की प्रमाणित प्रति व यदि उक्त शास्ति राशि जमा नहीं करवाई गई है तो कारण से अवगत कराने बाबत 02 बिन्दुओं पर सूचना चाही गई थी।
4. उक्त सूचना आवेदन के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा किसी प्रकार की सूचना अपीलार्थी को प्रेषित नहीं किये जाने के कारण हस्तगत अपील, अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय को संस्थित कराई गई है।
5. उक्त प्रथम अपील के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर तलब किया गया।
6. प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही किसी प्रकार का जवाब ही प्राप्त हुआ।
7. अतः **उक्त आलोक में अपील स्वीकार** की जाकर निस्तारित जाती है, साथ ही प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वो अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांकः 14.02.2022 में वांछित बिन्दुवार, सटीक सूचना उक्त निर्णयादेश प्राप्ति के अधिकतम 15 दिवस में नियमानुसार अधिप्रमाणित व पूर्ण हस्ताक्षरित कर पंजीकृत–पत्र के जरिये अपीलार्थी को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें एवं माननीय राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर के उपर्युक्त अपील निर्णय की अनुपालना में यदि शास्ति राशि जमा राजकोष नहीं करवाई गई है तो अविलम्ब जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट सचिव, राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर को भिजवाई जाकर इस न्यायालय को भी सूचित करें।
8. उक्त के अतिरिक्त न्यायालय द्वारा जारी नोटिस के परिप्रेक्ष्य में जवाब समय पर भिजवाया नहीं जाना अधिनियम की मूल भावना, विधिक प्रावधान, उद्देश्यों के प्रतिकूल है। अतः भविष्य में इस न्यायालय द्वारा अपील अन्तर्गत जारी नोटिस पर जवाब अतित्वरित भिजवाने की व्यवस्था की जावे।
9. आदेश की प्रति उभय पक्ष के साथ–साथ अतिरिक्त खाद्य आयुक्त एंव निदेशक, उपभोक्ता मामलात विभाग, राज. जयपुर को भी सूचनार्थ प्रेषित हो।
10. आज दिनांकः 30.05.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(शिवप्रसाद नकाते)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर (राज.)